प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 16.04.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी 1. चन्द्रिका प्रसाद पुत्र राम जियावन सा0 केकरहो थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दिनेश कुमार कसौधन।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा फाँसी लगाने जा रही महिला को बचाया गया– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत भाटपार से कालर द्वारा अपनी पत्नी से विवाद के बाद स्वयं की पत्नी के फाँसी लगाने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर फाँसी लगाने जा रही महिला को समझा-बुझाकर कमरे का दरवाजा खुलवाकर सकुशल बाहर निकाला गया तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सुपुर्द किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर फाँसी लगाने जा रही महिला को कमरे से सकुशल बाहर निकाला गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0चा0 राजनाथ यादव, आ0 शनि गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 115 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 115 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.04.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा इस्तियाक सलमानी पुत्र सई मोहम्मद निवासी बढ़या थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर अभियुक्त नाम पता सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी बढ़या थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की मां व भाई को हत्या की नियत से फावड़े से प्रहार कर घायल करने के उरांत वादी की मां का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने व वादी के भाई को गम्भीर रुप से घायल होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थानाध्यक्ष श्री इन्द्रभूषण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 87/2023 धारा 302,307 भादवि थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त सई मोहम्मद उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

सराहनीय पुलिस कार्यवाही, जनपद संतकबीरनगर
दिनांक: 16.04.2026

जय हिन्द सर,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत दिनांक 16.04.2026 को संतकबीरनगर पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2023 धारा 302,307 भादवि से संबंधित अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण :-

☐ सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी निवासी बढ़या थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

सजा का विवरण :-
अभियुक्त सई मोहम्मद

☐ धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

☐ धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।